रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092020-221779
CG-DL-E-17092020-221779

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 364] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2020/भाद्र 25, 1942
No. 364] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2020/BHADRA 25, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2020

फा. सं. 1/स्टेंड्स/अधिसूचना/मधुकारक-लेबलिंग/एफ़एसएसएआई-2019.—खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करता है, उक्त उपधारा (2) द्वारा यथापेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, प्रकाशित करता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, एफ़डीए भवन , कोटला रोड, नई दिल्ली – 110002 या ईमेल – regulation@fssai.gov.in को भेजे जा सकेंगे;

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप विनियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त हों, खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. (1) इन विनिमयों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन विनियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे तथा खाद्य कारोबार चालक को इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से न्यूनतम 180 दिनों के पश्चात् 1 जनवरी या 1 जुलाई से, विनियमों के सभी उपबंधों का अनुपालन करना होगा।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 में, (जिन्हें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा जाएगा)-

(1) विनियम **2.4** के, उप-विनियम 2.4.4 में,

(क) खंड (24) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(24) प्रत्येक ऐसे खाद्य के पैकेज पर, जिसमें खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के परिशिष्ट-क में उल्लिखित अनुज्ञात मधुकारक है, और ऐसे खाद्य के विज्ञापन पर निम्नलिखित लेबल लगाया जाएगा, अर्थात-

(i) इसमें .... (मधुकारक का नाम) है।
(ii) (क) *मिलाई गई चीनी की मात्रा............ ग्रा॰/100ग्रा॰
(ख) इस उत्पाद में चीनी नहीं मिलाई गई है।
(iii) *फेनिलकीटोन्यूरिक्स के लिए; जब्ती विकारों से पीड़ित बच्चों के लिए; गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए सिफ़ारिश नहीं की जाती (यदि एसपरटेम मिलाई गई हो)।
(iv) *बच्चों के लिए; गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए सिफ़ारिश नहीं की जाती (यदि एसीसल्फेम पोटेशियम मिलाई गई हो)।
(v) *फेनिलकीटोन्यूरिक्स के लिए; बच्चों के लिए; गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए सिफ़ारिश नहीं की जाती (यदि एसपरटेम-एसीसल्फेम मिश्रण मिलाया गया हो)।
(v) *बच्चों के लिए सिफ़ारिश नहीं की जाती (यदि सैक्रीन मिलाया गया हो)

(*जो लागू ना हो उसे काट दें**)**

(ख) खंड (25) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(25) इन विनियमों के विनियम 2.4.4 (24 और 26) के अधीन घोषणा के अतिरिक्त, प्रत्येक ऐसे खाद्य जिसमें, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, **2011** के उपविनियम 3.2.2 में परिभाषित और परिशिष्ट क में उल्लेखित गैर-केलोरी मधुकारक अंतर्विष्ट किया जाना अनुज्ञात है, के पैकेज पर और ऐसे खाद्य के विज्ञापन पर निम्नलिखित लेबल लगाया जाएगा, अर्थात,-

"गैर-केलोरी मधुकारक अंतर्विष्ट हैं और केलोरी जागरूक के लिए"

(ग) खंड (27) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(27) टेबल टाप मधुकारक के रूप में विपणित एसपरटेम (मिथाइल एस्टर), एसीसल्फेम, सुक्रोलोस, सैक्रीन और निओटेम के प्रत्येक पैकेट पर और टेबल टाप मधुकारक के प्रत्येक विज्ञापन में निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात,-

इसमें.......... (मार्कर कंपाउंड की शुद्धता और वजन प्रतिशत के साथ मधुकारक का नाम) है।

परंतु टेबल टाप मधुकारक के रूप में विपणित एसपरटेम (मिथाइल एस्टर), के पैकेज पर और ऐसे टेबल टाप मधुकारक के विज्ञापन में निम्नलिखित लेबल रहेगा अर्थात,-

फेनिलकीटोन्यूरिक्स के लिए; जब्ती विकारों से पीड़ित बच्चों के लिए; गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए सिफ़ारिश नहीं की जाती।

परंतु टेबल टाप मधुकारक के रूप में विपणित एसीसल्फेम पोटेशियम, के पैकेज पर और ऐसे टेबल टाप मधुकारक के विज्ञापन में निम्नलिखित लेबल रहेगा अर्थात,-

बच्चों के लिए; गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए सिफ़ारिश नहीं की जाती

परंतु टेबल टाप मधुकारक के रूप में विपणित सैक्रीन, के पैकेज पर और ऐसे टेबल टाप मधुकारक के विज्ञापन में निम्नलिखित लेबल रहेगा अर्थात,-

बच्चों के लिए सिफ़ारिश नहीं की जाती”

(घ) खंड (28) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(28) प्रत्येक एसे खाद्य के पैकेज पर, जिसमें खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के परिशिष्ट क के तहत उल्लिखित मधुकारकों के मिश्रण अंतर्विष्ट होना अनुज्ञात है, निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात-

(i) इसमें............. (खाद्य का नाम)............मिश्रण (मधुकारक का नाम) है (ii) (क) *मिलाई गई चीनी की मात्रा............ ग्रा०/100ग्रा० (ख) इस उत्पाद में चीनी नहीं मिलाई गई है। * जो लागू ना हो उसे काट दें

परंतु कि उपरोक्त घोषणा के अलावा, मधुकारक के मिश्रण वाले खाद्य के हर पैकेज में मिश्रण में मौजूद व्यक्तिगत मधुकारक के लिए इन नियमों के तहत निर्धारित लेबलिंग आवश्यकता की घोषणा की जाएगी;

(ड़) खंड (29) का लोप किया जाएगा;

(च) खंड (46) के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(46 क) आइसोमाल्ट युक्त खाद्य का प्रत्येक पैकेज निम्नलिखित लेबल को वहन करेगा:-

लैक्सेटिव प्रभाव हो सकता है

“(46 ख) सोर्बिटोल और सॉर्बिटोल सिरप वाले खाद्य के प्रत्येक पैकेज में निम्नलिखित लेबल होंगे:-

लैक्सेटिव प्रभाव हो सकता है, बच्चों में सूजन और दस्त का कारण हो सकता है; और रजोनिवृत्ति के बाद की महिलाओं में कैल्शियम का अवशोषण कम कर सकता है ”

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./221/2020]

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015//30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधन किए गए थे :-

(i) फा. सं.4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;

(ii) फा. सं. पी.15014/1/2011-पी.एफ.ए./एफ.एस.एस.ए.आई., तारीख 27 जून, 2013;

(iii) फा. सं. 1-83एल./एससीआई.पैन-अधि./एफ.एस.एस.ए.आई.-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;

(iv) सं0 3-16/विनिर्दिष्टए खाद्य/अधिसूचना (खाद्य लेबलिंग)/एफएसएसएआई-2014, तारीख 3 मई , 2016;

(v) फा.सं.1(94)2015/अधिसूचना पी एंड एल/प्रव,/एफ.एस.एस.ए.आई, तारीख 25 मई, 2016;

(vi) सं. 3-14पी /अधिसूचना (न्यूट्रास्टिकल्स)/एफ़एसएसएआई -2013, तारीख 13 जुलाई, 2016

(vii) फा.सं. 1-120(2)/मानक/किरणित/एफएसएसएआई-2015, तारीख 23 अगस्त, 2016;

(viii) फाइल सं. आरईजी/11/27/बीईवीओ-लेबलिंग/एफ़एसएसएआई-2018, तारीख 24 दिसंबर, 2018 और

(ix) फाइल सं॰ आरईजी-18/मैन्यु लेबलिंग/एफ़एसएसएआई-2018, तारीख 21 अगस्त, 2020।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2020

F. No. 1/Stds/Notification/Sweeteners-labelling/FSSAI-2019.—The following draft of certain regulations to further to amend the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India, proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (k) of sub-section (2) of section 92 read with section 23 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by the said sub-section (1) of section 92 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period so specified, will be considered by the Food Authority.

Draft regulations

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Amendment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force with effective date for implementation to be either 1st January or 1st July subject to a minimum of 180 days from the date of their final publication in the official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011 (herein after refer as said regulations), -

(1) In regulation 2.4, in sub-regulation 2.4.4,

(a) for clause (24), the following shall be substituted, namely:-

"(24) Every package of food which is permitted to contain sweetener mentioned under Appendix A of the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011and an advertisement for such food shall carry the following label, namely,-

> (i) This contains……………………….. (Name of the sweetener).
>
> (ii) (a)*Quantity of sugar added………g/100g.
>
> (b) No sugar added in the product.
>
> (iii) * Not recommended for phenylketonurics; for children suffering from seizure disorders; pregnant and lactating mothers (if Aspartame is added)
>
> (iv) * Not recommended for children; pregnant and lactating mothers" (if Acesulfame potassium is added)
>
> (v) * Not recommended for phenylketonurics; for children; pregnant and lactating mothers (if Aspartame-acesulfame salt is added)
>
> (v) *Not recommended for children (if SACCHARINS is added)

(*strike out whatever is not applicable)

(b) for clause (25), the following shall be substituted, namely:-

"(25) In addition to the declaration under regulations 2.4.4 (24 and 26), every package of food which is permitted to contain non-caloric sweetener as defined under sub-regulation 3.2.2 and listed under Appendix A of the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 and an advertisement for such food shall carry the following label, namely,-

> CONTAIN NON-CALORIC SWEETENER AND FOR CALORIE CONSCIOUS"

(C) for clause (27), the following shall be substituted, namely:-

"(27) Every package of Aspartame (Methyl ester), Acesulfame potassium, Sucralose, SACCHARINS and Neotame marketed as Table Top Sweetener and every advertisement for such Table Top Sweetener shall carry the following label, namely,-

> Contains........... (Name of sweetener with purity and weight percent of marker compound)

Provided that the package of Aspartame (Methyl ester), marketed as Table Top Sweetener and every advertisement for such Table Top Sweetener shall carry the following label, namely,—

> Not recommended for phenylketonurics; for children suffering from seizure disorders; pregnant and lactating mothers

Provided that the package of Acesulfame potassium, marketed as Table Top Sweetener and every advertisement for such Table Top Sweetener shall carry the following label, namely,—

> Not recommended for children; pregnant and lactating mothers

Provided that the package of SACCHARINS, marketed as Table Top Sweetener and every advertisement for such Table Top Sweetener shall carry the following label, namely,—

> Not recommended for children"

(d) for clause (28), the following shall be substituted, namely:-

"(28) Every package of food which contains a mixture of Sweeteners mentioned under Appendix A of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulation, 2011, shall carry the following label, namely,-

This ………......…… (Name of food) contains an admixture of ....(name of the sweeteners). (a) *Quantity of sugar added..…………... g/100g, (b) No sugar added in the product. *strike out whatever is not applicable

Provided that in addition to the above declaration every package of food containing mixture of sweeteners shall declare the labelling requirement prescribed under these regulations for the individual sweeteners present in the mixture;

(e) clause (29) shall be omitted;

(f) after clause (46), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(46 a) Every package of food containing Isomalt shall bear the following label:-

May have laxative effects

"(46 b) Every package of food containing Sorbitol and Sorbitol syrup shall bear the following label:-

May have laxative effect, cause bloating and diarrhea in children; and reduce calcium absorption in post-menopausal women"

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./221/2020]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended *vide* notification numbers:

(i) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 7th June, 2013;

(ii) F.No. P 15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated the 27th June, 2013;

(iii) F. No. 1-83L/Sci. Pan- Noti/FSSAI-2012, dated the 17th February, 2015;

(iv) F. No. 3-16/ Specified Foods/Notification(Food Labelling)/FSSAI-2014, dated 3rd May, 2016;

(v) F. No. 1(94)2015/Notification P&L/Enf/FSSAI, dated 25th May, 2016;

(vi) F. No. 3-14P/Notification(Nutraceuticals)/FSSAI-2013, dated 13th July, 2016;

(vii) F. No. 1-120(2)/Standards/Irradiation/FSSAI-2015, dated 23rd August, 2016;

(viii) F. No. REG/11/27/ BEVO-Labelling/FSSAI-2018, dated 24th December, 2018 and

(ix) F. No. REG-18/Menu Labelling/FSSAI-2018, dated 21st August, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2020.09.17 16:56:33 +05'30'